"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2006—फाल्गुन 19, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/1/2.—श्री बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (1993) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नापतौल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, खाद्य एवं पदेन विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पदस्थ किया जाता है. श्री अनंत अपने कार्य के साथ-साथ नियंत्रक, नापतौल का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम-3 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए.

2. नियम-4 में शब्द "समुचित रसीद" के पश्चात् शब्द "या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2006

क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1/2005/1/6 दिनांक 25-2-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

Raipur, the 25th February 2006

No. F 2-1/2005/1/6.— In exercise of the powers conferred by clause (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

1. In rule 3, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.

2. In rule 4, after the words "proper receipt" the words "or non-judicial stamp or money order" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2006.

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से., अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 30-01-2006 से 04-02-2006 तक (06 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05 02 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.